



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र, 1947 (श०)

संख्या - 423 राँची, सोमवार,

8 सितम्बर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

13 अगस्त, 2025

आदेश सं०-3/आरोप-11-16/2025 का०- 4850--श्री उज्जवल कुमार सोरेन, झ०प्र०से० (कोटि क्रमांक-598/20), अंचल अधिकारी, ओरमांझी, राँची के विरुद्ध परिवादी श्री तेजनाथ महतो, पिता स्व० केदला महतो, ग्राम कुच्चू, महुआटोली, ओरमांझी द्वारा दिनांक 20.03.2025 को परिवाद पत्र समर्पित किया गया।

परिवाद पत्र में आरोप लगाया गया है कि श्री महतो द्वारा दिनांक 06.12.2024 को आवेदन समर्पित किये जाने के बावजूद श्री उज्जवल कुमार सोरेन, अतिरिक्त भू-अर्जन पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, ओरमांझी, बड़ा बाबू श्री बीमल मुण्डा एवं बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक द्वारा मिलीभगत तथा षड्यंत्र कर भारतमाला परियोजना (गोला-ओरमांझी) ओरमांझी अंचल के तापे मौजा में अवस्थित खाता नं०-221, प्लॉट नं०-1264, रकवा-1.00 एकड़ भूमि का मुआवजा राशि 1,75,82,329.00 रुपये इनके भारतीय स्टेट बैंक के एकल खाता सं०-39731685621 में न भेजकर बैंक ऑफ इंडिया के Joint A/C No. 491610100008395 (Tejnath Mahto & Krishna Kumar Mahto) में भेज दिया गया है।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-2041, दिनांक 07.04.2025 एवं स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, राँची से परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा आरोप सत्य पाये जाने में संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध विहित प्रपत्र में आरोप-पत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया ।

उपायुक्त, राँची के पत्रांक-627, दिनांक 04.07.2025 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के पत्रांक-4473/गो०, दिनांक 20.06.2025 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर उपलब्ध करायी गयी ।

उपायुक्त, राँची द्वारा अंकित किया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि भारतमाला सड़क मार्ग परियोजना अन्तर्गत मौजा-तापे के खाता सं०-221, प्लॉट सं० 1264, रकवा-0.85 ए० भूमि अधिग्रहण की गई, जिसके विरुद्ध में रैयत तेजनाथ महतो एकल खाते में मुआवजा राशि का भुगतान बैंक ऑफ इंडिया ओरमांड़ी के खाता सं०-491610210000003 IFSC Code-BKID0004916 में दिनांक 16.04.2025 को राशि 1,75,80,039.00 (एक करोड़ पचहत्तर लाख अस्सी हजार उनचालीस) रुपये भुगतान की गई है ।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर राँची द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री उज्जवल सोरेन, अंचल अधिकारी, ओरमांड़ी, राँची पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद प्रतीत होता है ।

अतः समीक्षोपरांत, उपायुक्त, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री उज्जवल कुमार सोरेन झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-598/20), अंचल अधिकारी, ओरमांड़ी, राँची से संबंधित मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
